

जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु सहकारिता की आवश्यकता

यह एडिटरियल 06/06/2022 को 'द हट्टि बज़िनेस लाइन' में प्रकाशित "Greening India Through Cooperatives" लेख पर आधारित है। इसमें जलवायु परिवर्तन प्रभावों के शमन में नकित भवषिय में वभिन्न सहकारी समितियों द्वारा नभिई जा सकने वाली महत्त्वपूर्ण भूमिका के संबंध में चर्चा की गई है।

वैश्विक तापमान में वृद्धि और वशिव भर में अतरिकित जन-वरीधाभासों के परदृश्य में जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव के शमन के लिये अभनिव समाधान ढूँढने की आवश्यकता है। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर अपने अनूठे समाधानों के साथ सहकारी समितियाँ (Co-operative societies/Co-operatives) जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने की दशा में वैकल्पिक समाधान प्रदान कर सकती हैं। पर्याप्त धन और नीतितगत समर्थन के साथ सरकार द्वारा उनकी इस भूमिका में उल्लेखनीय सहयोग दिये जाने की आवश्यकता है।

सहकारी समितियाँ क्या हैं?

- **सहकारी समितियाँ** या को-ऑपरेटिव (Co-operatives) जन-केंद्रित उद्यम हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी सामान्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये किया जाता है।
- सहकारी समितियाँ लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से और बराबरी के स्तर पर एक साथ लाती हैं। इसके सदस्य चाहे ग्राहक हों, कर्मचारी हों, उपयोगकर्ता हों या नविसी हों— सहकारी समितियों का प्रबंधन लोकतांत्रिक तरीके से 'एक सदस्य, एक वोट' ('one member, one vote') नियम के माध्यम से किया जाता है।
 - सदस्यों ने उद्यम में कतिनी भी पूंजी लगाई हो, उन्हें एकसमान मतदान अधिकार प्राप्त होता है।

भारत में सहकारी समितियों का समर्थन करने के लिये सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

- भारतीय संदर्भ में सहकारी समितियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत "संगम या संघ (या सहकारी सोसाइटी)" के रूप में शामिल किया गया है। आगे फरि भाग 4 में 'राज्य की नीतिकाे नदिशक तत्त्व' के अंतर्गत अनुच्छेद 43B को शामिल किया गया जो सहकारी समितियों के संवर्द्धन से संबंधित प्रावधान करता है।
- संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 ने भारत में कार्यरत सहकारी समितियों के संबंध में भाग IXA (नगरपालिका) के ठीक बाद एक नया भाग IXB शामिल किया।
- हाल में केंद्र सरकार द्वारा 'सहकार से समृद्धि' (Prosperity through Cooperation) के वज़िन को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को एक नई प्रेरणा देने के लिये एक पृथक 'सहकारिता मंत्रालय' का नरिमाण किया गया है।

जलवायु परिवर्तन शमन में सहकारी समितियाँ कैसे महत्त्वपूर्ण हैं?

- **सामूहिक और अभनिव समाधान:** सहकारी समितियाँ सामूहिक रूप से बढ़ते तापमान, नौकरियों के नुकसान, जल संसाधनों के ह्रास, भूमि एवं वन संसाधनों की गरिवाट और अपशषिटों के संचय के कारण स्वास्थय के लिये खतरे जैसे उभरते प्रभावों के लिये समाधान प्रदान करती हैं।
- **सर्वसम्मतिके माध्यम से कार्यान्वयन:** सहकारी समितियाँ द्वारा पर्यावरणीय-सामाजिक एजेंडे को स्पष्ट रूप से अपनाया व्यवहार्यता और जीवन शक्ति में योगदान करता है; यह समान वचिरधारा के लोगों, हतिधारकों और रणनीतिक सहयोगियों के लिये सकारात्मक भेदभाव और मज़बूत संबंधों का आधार प्रदान करता है।
- **उत्सर्जन तटस्थ योगदान:** सहकारी समितियाँ प्राकृतिक संसाधनों के सतत् प्रबंधन में कई तरह से योगदान करती हैं।
- **मशिन में नवाचार का योग:** सहकारी समितियों में अपने अभनिव कौशल के साथ वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने (जैसे समुदायों के लिये स्वच्छ जल का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना) और ऊर्जा पहुँच, ऊर्जा दक्षता एवं नमिन उत्सर्जन के सतत् लक्ष्यों की पूर्ति में मदद करने की क्षमता है।

कुछ वास्तविक उदाहरण

- गुजरात के खेड़ा ज़िले के ढुंडी गाँव ने 'ढुंडी सौर ऊर्जा उत्पादक सहकारी मंडली' (DSUUSM) के रूप में वर्ष 2016 में वशिव की पहली सौर

सचिाई सहकारी समतलकी स्थापना की है ।

- इस सहकारी समतलके सदस्यों को प्रायः 'सौर उद्यमी' कहा जाता है जो सौर ऊर्जा संचयन (Solar Energy Harvesting) कर रहे हैं ।
- इससे उन्हें बेहतर संचयन में मदद मली है और वे अतरिकित आय के लये ग्रडि से जुड़े हुए हैं ।
- भारतीय कृषी वानकी वकलस सहकारी नगल (Indian Farm Forestry Development Co-operative- IFFDC), जो सहकारी समतलियों की छत्र संस्था है, भारत के तीन उत्तर-मध्य राज्यों- राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बंजर भूमलको पुनः वन में रूपांतरल कर रहा है ।
- पर्यावरण, जलवायु, जल, स्वच्छ ऊर्जा आदलके संबंध में स्व-नयलजतल महिला संघ (Self Employed Women's Association- SEWA) के हस्तकषेप और जागरूकता प्रसार वर्तमान समय के उपयुक्त हैं और वर्ष 2030 तक प्राप्त कये जाने वाले हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों (सतत वकलस लक्ष्यों) का समर्थन करते हैं ।
- इसके साथ ही AMUL, IFFCO और NAFED जैसे प्रमुख सहकारी दगलजों के भी उदाहरण मौजूद हैं जलोंने उत्पादन प्रमाणन, खाद्य सुरक्षा के अनुपालन और बाजार-संचाललतल मूल्य शृंखला से संबद्धता के लये सहकारी समतलियों को समर्थन दे जैवकल खेती में ववलधलता का प्रवेश सुनश्चलतल कयल है ।
 - इस तरह की पहल ने सहकारी समतलियों को प्राकृतकल एवं जैवकल खेती की ओर उनमुख कयल है और वे जैवकल उत्पादों की मांग को पूरा करने के लये पूरी तरह तैयार हैं ।

सहकारी समतलियों के समक्ष वदलमान चुनौतलयाँ

- नीतल-नरलमाताओं द्वारा उपेक्षा: नीतल-नरलमाताओं द्वारा दूरदर्शतल की कमी के कारण सहकारी समतलियों की भूमलका को वभलनन स्तरों पर अनदेखा कयल गया है ।
- जागरूकता की कमी: व्यावसायकल रणनीतलियों और बाजार कारयकरण के बारे में जागरूकता और जानकारी की कमी है ।
- वतलतपोषण और क्षमताओं की कमी: चाहे सारवजनकल कषेत्र हों या नजली कषेत्र— दोनों ने ही इस कषेत्र पर अधकल भरोसा नहीं दखलया है, क्योंकि सहकारी समतलियों के लये बहुत कम या कोई वतलतीय सहायता उपलब्ध नहीं है, जो उनकी क्षमता को नुकसान पहुँचाता है ।
- खराब प्रबंधन: बाजार के बारे में समझ की कमी और श्रमकलों में कौशल के खराब स्तर के कारण कई सहकारी समतलियाँ खराब प्रदर्शन करती रही हैं और वांछतल परणलम देने में सक्षम नहीं रही हैं ।

आगे की राह

- सहकारी समतलियों की द्वैध भूमलका: सरकार और कॉर्पोरेटस सहलतल वभलनन हतलधारकों को सहकारी समतलियों के सबसे उल्लेखनीय प्रतसिप्रद्धातमक लाभ (यानी एक संगठन और एक उद्यम के रूप में उनकी दोहरी स्थतल) को सामने लाकर उनकी भूमलका को पूरुणता प्रदान करनी चाहये और उन्हें आगे और समर्थन देना चाहये ।
- आर्थकल, सामाजकल और समाजीय भूमलका: वे आर्थकल, सामाजकल और समाजीय भूमलका (Economic, Social and Societal Role) के रूप में अपनी तहलरी भूमलका का नरल्वहन करें जहाँ एक ओर लाभ कमाकर और एक वयवसाय को जीवंत बनाए रखकर अर्थवयवस्था का समर्थन करें, वही दूसरी ओर समृद्धकल सृजन कर समाज को इसका लाभ देकर अपनी अपनी सामाजकल भूमलका नभलएँ ।
- संवर्द्धतल क्षमताओं की आवश्यकता: सहकारी समतल सदस्यों में संवर्द्धतल क्षमताओं की आवश्यकता है ताकलवे जलवायु परवलरतन और पर्यावरणीय कषरण के वयापक प्रभाव को समझ सकें ।
- जागरूकता और काररवाई: पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु सहकारी समतलियों की मदद लेने, अनुकूलन एवं शमन पर प्रशकलषण, मलकर कारय करने के लये गठबंधन का नरलमाण और सहकारी उद्यमों एवं नवाचारों में नवलश में एक हरतल एजेंडे का होना आवश्यक है ताकल संवहनीय भवषिय का नरलमाण हो सके ।
- सरकार की भूमलका: सरकार को उनकी क्षमताओं के संवर्द्धन हेतु कारय करना होगा जहाँ उन्हें बाजार और वयापारकल समुदायों की ओर से उच्चतल मार्गदर्शन एवं समर्थन मलल सकना सुनश्चलतल कयल जाए, ताकलवे एक उद्यम के संचालन हेतु आवश्यक कौशल एवं ज्ञान का वांछतल स्तर प्राप्त कर सकें और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में आगे इन क्षमताओं का उपयोग कर सकें ।

अभयास प्रश्न: "सहकारतल कषेत्र में जलवायु परवलरतन के प्रभावों को कम करने की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं; हालाँकल अब तक इसे इष्टतम रूप से साकार नहीं कयल गया है ।" इस कथन के आलोक में जलवायु परवलरतन के प्रभाव को कम करने के लये इस कषेत्र की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सकने हेतु उपाय सुझाएँ ।